अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यों में पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन पर एक अवलोकन प्रदान करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक कुशल आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ समयबद्धता और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता कुशल शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी और परिचालित है, तो सामरिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 लेखों की पूर्णता से संबन्धित प्रकरण

4.1.1 ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाओं के प्रति ब्याज अदायगी की स्थिति एवं प्रभाव

सरकार का दायित्व है कि वह ब्याज की जमा राशियों और आरक्षित निधियों की राशि पर ब्याज प्रदान करे और उसका भुगतान करे। 2022-23 के दौरान सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) को छोड़कर सभी ब्याज वाली जमाओं और आरक्षित निधियों के सापेक्ष अपनी देनदारी का निर्वहन किया जैसा कि नीचे **तालिका-4.1** में बताया गया है।

तालिका-4.1: ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्याज युक्त आरक्षित निधियों व जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2022 को शेष राशि	ब्याज दर	देय ब्याज	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
1.	मुख्य शीर्ष 8121-121 के तहत ब्याज युक्त आरक्षित निधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ)	2.27	7.49 *प्रतिशत (एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों के अनुसार)*	0.17	-----
2.	मुख्य शीर्ष 8121-129 के तहत ब्याज युक्त आरक्षित	2,873.61	3.35 *प्रतिशत* (जैसा कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और	96.27	150.00*

क्र.सं.	ब्याज युक्त आरक्षित निधियों व जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2022 को शेष राशि	ब्याज दर	देय ब्याज	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि		जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है)		
3.	मुख्य शीर्ष 8342-117 के तहत परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना को छोड़कर ब्याज वाली जमाएँ	370.33	5.49 *प्रतिशत* (वर्ष 2022-23 के लिए अर्थोपाय अग्रिम ब्याज दर 5.49 प्रतिशत लेते हुए)	20.33	74.33*
4.	एन पी एस की अस्थानान्तरित धनराशि (मुख्य शीर्ष 8342-117 के तहत परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना)	83.21	सरकार द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि में देय 7.10 प्रतिशत	5.91	20.00*
	योग	***3,329.42***		***122.68***	***244.33***

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के 2022-23 के वित्त लेखे का एन टी ए

****विगत अवधि के भुगतान शामिल हैं।***

चालू वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 122.68 करोड़ के स्थान पर ब्याज के रूप में ₹ 244.33 करोड़ का भुगतान किया। ₹ 121.65 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान ने राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक प्रभावित किया।

4.1.2 क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है। ये स्थानान्तरण वित्त लेखों के खंड-II के परिशिष्ट-6 में प्रदर्शित किए गए हैं।

महालेखानियंत्रक के सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल के अनुसार, भारत सरकार ने विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड में 410 क्रियान्वयन एजेंसियों को 161 योजनाओं के अंतर्गत सीधे ₹ 4,335.37 करोड़ हस्तांतरित किए। क्रियान्वयन एजेंसियों को धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2021-22 में ₹ 4,825.65 करोड़ से 10.16 *प्रतिशत* कम हो कर 2022-23 में ₹ 4,335.37 करोड़ हो गया है। 161 योजनाओं में से, सात योजनाएँ ऐसी थीं जिनके तहत क्रियान्वयन एजेंसियों को ₹ 50 करोड़ से अधिक धनराशि प्राप्त हुई जो कि वर्ष के दौरान हस्तान्तरित कुल धनराशि का 91.60 *प्रतिशत* (₹ 3971.00 करोड़) थी। विवरण, नीचे **तालिका-4.2** में दिया गया है।

तालिका-4.2: क्रियान्वयन एजेंसियां जिन्होंने 2022-23 के दौरान भारत सरकार से सीधे धनराशि (₹ 50 करोड़ से अधिक) प्राप्त की

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान जारी की गई धनराशि
1.	आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना	65.11
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड	1212.25
3.	जल जीवन मिशन/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन उत्तराखण्ड, हिमालयन पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं विकास संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, उत्तराखण्ड, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देव ऋषि एजुकेशनल सोसायटी, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस	1210.66
4.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	440.61
5.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	हेदेय कम्युनिकेशन, हिलवेज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम इत्यादि	64.32
6.	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश	505.30
7.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, उत्तराखण्ड	472.75
	योग		***3,971.00***

क्रियान्वयन एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तांतरित समग्र धनराशि का विवरण **तालिका-4.3** में प्रदर्शित है।

तालिका-4.3: क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित धनराशि

क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधा हस्तांतरण	2020-21	2021-22	2022-23
हस्तांतरित धनराशि *(₹ करोड़ में)*	4,056.80	4,825.65	4,335.37

4.1.3 स्थानीय निधियों में जमा

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (धारा 40, 80 और 119) के अनुसार, पंचायत निकाय निधि शासकीय कोषागार और उप कोषागार अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक और डाक घर में रखी जाएगी। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (धारा 115) जिसे उत्तराखण्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है, के अनुसार

भी नगर निगम निधियाँ (यू एल बी के लिए) शासकीय कोषागार अथवा उप कोषागार अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी। वित्त लेखों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नगरपालिका निधि के तहत लेन-देन हुए थे, जैसा कि नीचे **तालिका-4.4** में वर्णित है।

तालिका-4.4: स्थानीय निधियों में जमा

(₹ करोड़ में)

		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पंचायत निकाय निधि (8448-109)	प्रारम्भिक शेष	14.62	14.79	14.79	14.79	14.79
	प्राप्ति	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतिम शेष	**14.79**	**14.79**	**14.79**	**14.79**	**14.79**
	प्रतिशत उपयोगिता	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
नगर पालिका निधि (8448-102)	प्रारम्भिक शेष	236.59	340.59	441.61	495.41	211.56
	प्राप्ति	711.61	835.76	941.81	660.00	906.40
	व्यय	607.61	734.74	888.01	943.86	882.95
	अंतिम शेष	**340.59**	**441.61**	**495.41**	**211.56**	**235.01**
	प्रतिशत उपयोगिता	***64.08***	***62.46***	***64.19***	***81.69***	***78.98***

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया वित्त लेखा 2022-23

जैसा कि ऊपर दी गई **तालिका-4.4** से स्पष्ट है, पंचायत निकाय कोष प्रारम्भ से ही लगभग निष्क्रिय है। हालाँकि, नगरपालिका निधि संचालन में है और 31 मार्च 2023 तक इसमें ₹ 235.01 करोड़ का समग्र शेष है।

4.2 पारदर्शिता से संबन्धित प्रकरण

4.2.1 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब [1]

उत्तराखण्ड वित्तीय पुस्तिका के खंड 5 भाग 1 के नियम 369-(एच) में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए अनुदानों के लिए, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) विभागीय अधिकारियों द्वारा इस रुप में प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसाकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सहमति दी गई है और इसे अनुदानों की स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। वस्तु शीर्ष 56 और 69 मुख्य शीर्ष 3604 के तहत केवल उन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को म ले (लेखा एवं हकदारी) द्वारा देखा जाता है जिसमें संस्तुति आदेश विशेष रूप से उन्हें उपयोगिता प्रमाणपत्र देखने के लिए प्रदान करता है।

[1] अनुदान नियंत्रक अधिकारियों से वर्ष 2022-23 से संबंधित ₹ 5,198.27 करोड़ (पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान = ₹ 450.47 करोड़ और वेतन के अतिरिक्त सहायता अनुदान ₹ 4,747.80 करोड़) के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे।

मार्च 2023 तक ₹ 2,247.39 करोड़ के कुल 536 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में आयु-वार स्थिति को **तालिका-4.5** में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.5: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		प्रस्तुत करने के लिए देय	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2020-21	201	1,636.69	338	1,016.32	82	764.04	457	1,888.97
2021-22	457	1,888.97	301*	1,180.92	136	498.89	622	2,571.00
2022-23	622	2,571.00	268*	1,383.06	354	1706.67	536[2]	2,247.39

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

** उनको छोड़कर जिसमे स्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट किया हो, 2022-23 के दौरान निकाले गए सहायता अनुदान की उ प्र केवल 2023-24 में देय होती है।*

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2023 तक जमा करने के योग्य 268 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए, जिसके लिए विशिष्ट उद्देश्यों हेतु मार्च 2022 तक ₹ 864.32 करोड़ की धनराशि दी गई थी। उपरोक्त में से ₹ 6.29 करोड़ की धनराशि वाले 19 उपयोगिता प्रमाणपत्र 31 अगस्त 2023 तक प्राप्त हुए थे। सभी लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, पंचायती राज संस्थानों/शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थे। 31 मार्च 2023 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्ष वार विवरण नीचे **तालिका-4.6** में दिया गया है।

तालिका-4.6: 31.03.2023 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्ष वार विवरण

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान प्रस्तुत करने हेतु देय है	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	धनराशि *(₹ करोड़ में)*
2021-22 तक	01	20.29
2022-23	267	844.03
योग	***268***	***864.32***

31 मार्च 2023 तक लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबन्धित ₹ 496.83 करोड़ और राज्य योजनाओं से संबन्धित ₹ 367.49 करोड़ की राशि शामिल है।

उपयोगिता प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए ये स्वीकृत

[2] क्रमश: 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 तक प्रस्तुत करने के लिए देय, धनराशि ₹ 20.29 करोड़ (राज्य योजनाएँ) का एक उ प्र, धनराशि ₹ 844.03 (के प्रा यो = ₹ 496.83 करोड़ और राज्य योजनाएँ = ₹ 347.20 करोड़) के 267 उ प्र और धनराशि ₹ 1383.07 करोड़ (के प्रा यो = ₹ 464.65 करोड़ और राज्य योजनाएँ = ₹ 918.42 करोड़) के 268 उ प्र शामिल है।

किए गए थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र का लंबित होना, निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण को संबन्धित विभागों के साथ उठाया जाएगा।

चार्ट-4.1: 31 मार्च 2023 तक विभाग वार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

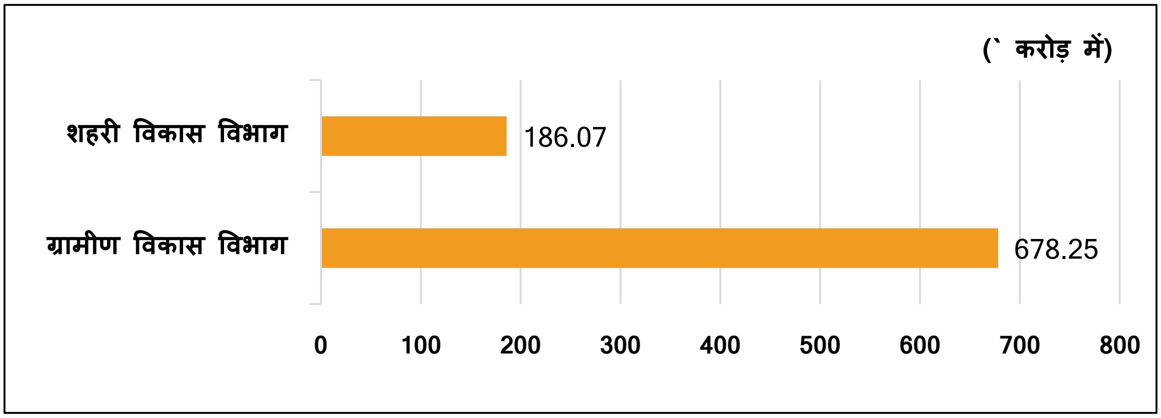

उपरोक्त अनुदानों के अलावा, नीचे **तालिका-4.7** में वर्णित सहायता अनुदान भी विभिन्न संस्थानों को दिए गए थे। नियंत्रण अधिकारियों को उक्त अनुदान के उपयोग/अंतिम उपयोग पर नजर रखनी थी। नियंत्रण अधिकारियों ने उपरोक्त अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति की स्थिति प्रस्तुत नहीं की है।

तालिका-4.7: सहायता अनुदान (यू एल बी/पी आर आई के इतर)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वस्तु शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2020-21	2021-22	2022-23
1.	05	वेतन, भत्ता और अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान	1,179.53	1,181.65	1,391.96
2.	55	पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदान	-----	706.10	450.47
3.	56	वेतन के अलावा सहायता अनुदान	34,09.34	3,312.13	4,747.80
योग			***4,588.87***	***5,199.88***	***6,590.23***

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि इन अनुदानों का बड़ा हिस्सा वस्तु शीर्ष 05 वेतन, भत्ता और अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान से (₹ 1391.96 करोड़) संबन्धित है। शेष राशि (₹ 5198.27 करोड़) के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लिए संबन्धित विभागों पर कार्रवाई की जाएगी।

4.2.2 सार आकस्मिक बिल

वर्ष 2022-23 तक आकस्मिक बिलों (ए सी) के सापेक्ष लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी सी) का वर्षवार विवरण **तालिका-4.8** में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.8: ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिलों के जमा करने में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		अंतिम शेष	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2020-21 तक	37	3.01	78	5.67	38	5.24	77	3.44
2021-22	77	3.44	321	93.46	155	69.57	243	27.33
2022-23	243	27.33	271	8.97	440	24.94	74	11.36

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा संकलित सूचना

तालिका-4.8 से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान ₹ 8.97 करोड़ की धनराशि के लिए 271 ए सी बिल आहरित किए गए तथा ₹ 24.94 करोड़ की धनराशि के लिये 440 डी सी सी बिलों को वर्ष के दौरान प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2023 तक ₹ 11.36 करोड़ के 74 ए सी बिल बकाया थे। बकाया 74 डी सी सी बिलों में ₹ 10.60 करोड़ की धनराशि के 37 बिल 2021-22 से संबंधित थे। हालाँकि, 31 अगस्त 2023 तक ₹ 1.06 करोड़ की राशि के 11 डी सी सी बिल प्राप्त हुए जिसमें वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 10.60 करोड़ में से ₹ 0.91 करोड़ का एक डी सी सी बिल तथा वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 0.76 करोड़ में से ₹ 0.15 करोड़ के 10 डी सी सी बिल शामिल थे। सभी विभागों से संबन्धित लंबित डी सी सी बिलों की स्थिति को **चार्ट-4.2** में दिया गया है।

चार्ट-4.2: बकाया डी सी सी बिल

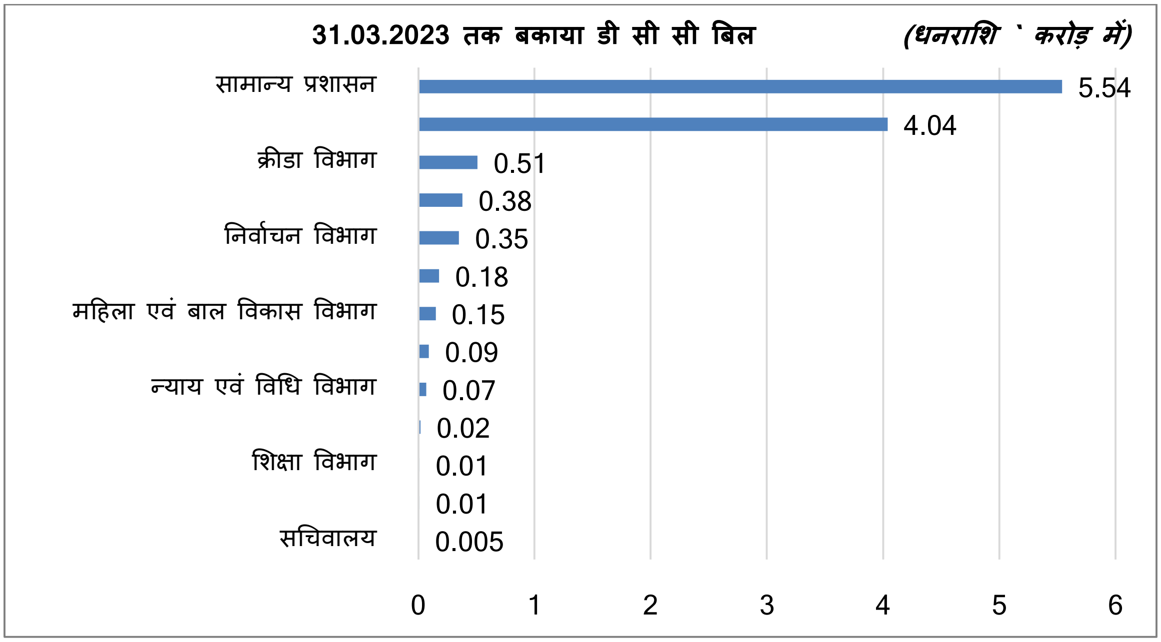

आहरित किये गये अग्रिम जो लेखाबद्ध नहीं किये गए हों अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुष्कृत्य की संभावना को बढ़ाते हैं इसलिए, डी सी सी बिल जमा हों यह ही सुनिश्चित करने के लिए कड़े अनुवीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, डी सी सी बिलों की अप्राप्ति की

सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और इस प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आश्वासन दिया।

4.2.3 स्वयं के खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ

सामान्य व्यय पूर्ण तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों पर होता है जो सामग्री की प्राप्ति या संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में, कोषागार से आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अपने स्वयं के बैंक खाते या कार्यदायी संस्थाओं के खाते में धन का हस्तांतरण काल्पनिक व्यय का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए सार आकस्मिक बिलों और सहायता अनुदान बिलों के समान गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। अभी तक सरकारी लेखा प्रणाली में ऐसे लेनदेन की पहचान करने और चिह्नित करने के लिए कोई संकेत नहीं है। नीचे दी गई **तालिका-4.9** विवरण में दिया गया है।

तालिका-4.9: स्वयं के खाते और कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित की गई धनराशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं के खाते में हस्तांतरित	787.12
कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित	5,135.89
योग	***5,923.01***

स्रोत-लेखापरीक्षा द्वारा आई एफ एम एस डेटाबेस से संगणित

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने सूचित किया कि मामले की जांच की जाएगी।

4.2.4 व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए सरकार संचित निधि से धन हस्तांतरित कर धन जमा करने के लिए व्यक्तिगत जमा (पी डी) खाते खोलने के लिए अधिकृत है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-1) के प्रस्तर 340 (अ) के प्रावधान विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत करता है। हालांकि, निधियों की निकासी, जब तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो, तय होगी और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा के लिए सरकारी लेखे से धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा, बजट अनुदान के कालातीत होने से बचने और इस तरह के धन को लोक लेखे में या बैंक के पास जमा करने की दृष्टि से धन निकालने की प्रथा वर्जित है।

2022-23 के अंत में, 25 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 129.28 करोड़ की अव्ययित शेष धनराशि राज्य की संचित निधि में अहस्तांतरित रही। 2022-23 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति को **तालिका-4.10** में दिया गया है।

तालिका-4.10: 2022-23 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों (मुख्य शीर्ष 8443-106) कि स्थिति

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान बंद		31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
45	188.07	0	5.85	20	64.64	25	129.28

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि 25 पी डी खातों मे से 16 खातों को बंद कर दिया गया है और ₹ 12.02 करोड़ की शेष राशि वाले नौ खाते आतिथि तक लंबित हैं जिन्हें शीघ्र ही बंद कर दिया जाएगा।

तालिका-4.11 में 2018-23 की अवधि के दौरान वित्त वर्ष के अंतिम दिन में 8443-106 जिला अधिकारी (डी एम), देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी धनराशि की स्थिति दी गई है।

तालिका-4.11: 2018-19 से 2022-23 के दौरान डी एम देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में धन का अवरूद्ध रहना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पी डी ए में पड़ी धनराशि	98.36	96.18	97.68	97.68	95.92

**जिलाधिकारी देहरादून का पी डी खाता जून 2023 में बंद कर दिया गया था।*

राज्य में 31 मार्च 2023 तक ₹ 129.28 करोड़ के अंतिम शेष के साथ 25 व्यक्तिगत जमा खाते थे। 31 मार्च 2023 तक जिला अधिकारी, देहरादून के एक व्यक्तिगत जमा खाते से संबंधित ₹ 95.92 करोड़ (74.20 *प्रतिशत*) की राशि पड़ी हुई थी। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पूर्व अनुमोदन के बाद खाता संचालित किया जा रहा था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के अंत में इसे बंद करने की आवश्यकता थी और शेष राशि संचित निधि में हस्तांतरित करनी थी। जिलाधिकारी देहरादून का पीडी खाता जून 2023 में बंद कर दिया गया था।

तालिका-4.12: डी एम देहरादून के अलावा शीर्ष पांच पी डी ए/पी एल ए धारक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसके नाम पर पी डी ए/पी एल ए स्वीकृत किया गया है।	कब से संचालित है	अंतिम नवीनीकरण वर्ष	जमा धनराशि
1.	मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार	मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार	06/09/2021	2022-23	16.74
2.	पुलिस महानिरक्षक मुख्यालय, देहरादून	पुलिस महानिरक्षक मुख्यालय, देहरादून	27/02/2013	2022-23	4.20
3.	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून	18/11/2014	2022-23	2.90

क्र. सं.	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसके नाम पर पी डी ए/पी एल ए स्वीकृत किया गया है।	कब से संचालित है	अंतिम नवीनीकरण वर्ष	जमा धनराशि
4.	निदेशक शहरी विकास निदेशलय, साइबर ट्रेज़री	निदेशक शहरी विकास निदेशलय, साइबर ट्रेज़री	08/08/2011	2017-18	2.70
5.	महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून	महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून	27/03/2019	2018-19	2.22

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।

उपरोक्त **तालिका-4.12** में, डी एम देहरादून को छोड़कर, अन्य शीर्ष पांच पी डी ए/पी एल ए खाता धारकों का विवरण दिया गया है।

तालिका-4.13: सक्रिय/निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण

क्र. सं.	अंतिम नवीनीकरण वर्ष	पी डी लेखों की संख्या	लेखों में रखी धनराशि *(करोड़ में)*	पी डी लेखों की संख्या जिनमें अवशेष शून्य है
1.	2013-14	4	0.18	3
2.	2014-15	3	0.00	3
3.	2015-16	1	0.00	1
4.	2017-18	3	4.46	0
5.	2018-19	2	2.22	1
6.	2019-20	3	0.00	3
7.	2021-22	3	1.09	1
8.	2022-23	6	119.59	0
योग		***25***	***127.54****	***12***

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड (आई एफ एम एस डाटा)

****कुल व्यक्तिगत जमा खाते और इन खातों की धनराशि वित्त लेखों के आंकड़ों से भिन्न है।***

कुल 25 व्यक्तिगत जमा खातों में से, 12 खातों में शेष राशि शून्य है। 11 व्यक्तिगत जमा खाते पाँच वर्ष से अधिक समय से तथा पाँच व्यक्तिगत जमा खाते तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित थे। सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार, इन जमाओं के तहत रखी गई राशि को राज्य की संचित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था। शून्य शेष वाले खातों को वर्ष के अंत (31 मार्च 2023) में बंद नहीं किया गया था।

4.2.5 निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते

केन्द्रीय कोषागार देहरादून के असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण **तालिका-4.14** में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.14: केंद्रीय कोषागार देहारादून के असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते (8443-106 के इतर)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	पी डी ए धारक का नाम	अंतिम शेष	अंतिम लेन-देन की तिथि
1.	8448-00-120	वित्त अधिकारी/बेसिक शिक्षा कोष देहरादून	11.04	26.10.2016
योग			***11.04***	

स्रोत: मुख्य कोषागार कार्यालय, देहरादून।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, मार्च 2023 तक 8443-106 के इतर एक असंचालित व्यक्तिगत जमा खाता था, जिसमें ₹ 11.04 लाख शेष था। उत्तर प्रदेश व्यक्तिगत जमा खाता नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में लागू) के प्रस्तर 10 (2) के अनुसार, तीन वर्ष से अधिक समय तक असंचालित खातों को बंद किया जाना चाहिए और इन खातों के तहत जमा धनराशि को सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए। केंद्रीय कोषागार, देहरादून के एक लेखे में विगत तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं किया गया था। इसलिए, सरकार के लेखे में ₹ 11.04 लाख की धनराशि जमा की जानी चाहिए थी।

4.2.6 लघु शीर्ष 800 का उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल उन मामलों में संचालित किया जाना है, जहां लेखों में एक मुख्य शीर्ष के तहत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

2022-23 के दौरान, 32 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,625.33 करोड़ की राशि, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 51,967.24 करोड़) का 3.13 *प्रतिशत* है, को लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 45 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,778.39[3] करोड़, जो कुल प्राप्तियों (₹ 49,082.70 करोड़) का 3.62 *प्रतिशत* (पेंशन विभाजन के 3.38 *प्रतिशत* को छोड़कर) है, के लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इस बीच, पिछले दस वर्षों में लघु शीर्ष-800 के तहत व्यय के वर्गीकरण में तेजी से कमी आई है। 2011-12 में, व्यय का 26.50 *प्रतिशत* लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के तहत दर्ज किया गया था, जबकि 2022-23 में यह घटकर कुल व्यय का 3.13 *प्रतिशत* हो गया है। इसी तरह, 2011-12 में कुल प्राप्तियों का 9.25 *प्रतिशत* लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया था, जबकि 2022-23 में यह कुल प्राप्तियों का 3.62 *प्रतिशत* (पेंशन विभाजन के 3.38 *प्रतिशत* को छोड़कर) पर आ गया है।

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' और लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज व्यय और प्राप्तियों (₹ 20 करोड़ से अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण **तालिका-4.15** में दर्शाया गया है:

---

3 वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से पेंशन के बंटवारे के रूप में ₹ 1,659.46 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 3.38 *प्रतिशत*) शामिल नहीं है, जो 2022-23 के दौरान 800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया है।

तालिका-4.15: लघु शीर्ष 800 का विवरण-उपशीर्ष स्तर पर अन्य प्राप्तियां एवं अन्य व्यय (₹ 20 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

"800-अन्य प्राप्तियाँ"						"800-अन्य व्यय"			
क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	धनराशि	अनुदान	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	धनराशि
1	0049	800	12	681.62	0007	4059	800	01	1071.57
2	0039	800	00	275.73	0003	4059	800	02	47.74
3	0406	800	03	98.39	0018	2425	800	31	45.00
4	0406	800	01	92.14	0012	2210	800	11	43.20
5	0801	800	01	73.56	0015	4235	800	04	35.76
6	0070	800	06	69.01	0013	4216	800	02	35.00
7	0029	800	08	45.96	0030	4225	800	03	29.71
8	0039	800	05	42.12	0007	4059	800	17	27.30
9	0030	800	01	33.71	-	-	-	-	-
10	0217	800	99	30.98	-	-	-	-	-
11	0425	800	03	28.41	-	-	-	-	-
12	0059	800	99	27.22	-	-	-	-	-
13	0211	800	02	27.02	-	-	-	-	-
14	0801	800	02	25.00	-	-	-	-	-
15	0853	800	01	21.88	-	-	-	-	-
योग				***1,572.75***	***योग***				***1,335.28***

ऐसे दृष्टांत जहां वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्तियों और व्यय की महत्वपूर्ण राशि (20 *प्रतिशत* या अधिक और ₹ पाँच करोड़ से अधिक) को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' और '800-अन्य व्यय' के तहत वर्गीकृत किया गया था, **तालिका-4.16** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-4.16: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय में 2022-23 के दौरान दर्ज की गई महत्वपूर्ण धनराशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	व्यय की प्रतिशतता
1.	**0029-**भू- राजस्व	64.98	50.96	*78.42*	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20.32	18.41	*90.60*
2.	**0049-**ब्याज प्राप्तियाँ	759.04	694.88	*91.55*	2425- सहकारिता	122.90	79.64	*64.80*
3.	**0055-** पुलिस	29.72	16.86	*56.73*	-4047अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	16.64	16.64	*100.00*

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	व्यय की प्रतिशतता
4.	**0059-** लोक निर्माण	51.01	41.78	*81.91*	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1554.94*	1127.42	*72.51*
5.	**0070-** अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	110.23	78.34	*71.07*	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	66.37	53.03	*79.90*
6.	**0210-** चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	188.50	14.08	*7.47*	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	57.00	47.64	*83.58*
7.	**0211-**परिवार कल्याण	27.03	27.03	*100.00*	4235-सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	43.57	35.96	*82.53*
8.	**0217-**शहरी विकास	30.99	30.99	*100.00*	4401-फसल वानिकी पर पूंजीगत परिव्यय	27.02	06.69	*24.76*
9.	**0401-** फसल वानिकी	7.03	4.98	*70.84*	4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	30.47	15.37	50.44
10.	**0406-** वानिकी और वन्यजीव	474.93	203.57	*42.86*	-	-	-	-
11.	**0425-** सहकारिता	28.74	28.74	*100.00*	-	-	-	-
12.	**0435-** अन्य कृषि कार्यक्रम	14.02	14.02	*100.00*	-	-	-	-
13.	**0515-**अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	14.68	8.49	*57.83*	-	-	-	-
14.	**0801-**विद्युत	72.46	32.79	*45.25*	-	-	-	-
	योग	***1873.36***	***1247.51***	***66.59***	***योग***	***1939.23***	***1400.80***	***72.23***

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक) द्वारा तैयार 2022-23 के वित्त लेखे।

****** इसमें 2022-23 में आकस्मिकता निधि से ली गयी ₹ 15.64 करोड़ की धनराशि शामिल नहीं है और वर्ष के अंत तक जो वसूल नहीं की गयी है।***

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वित्त, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शहरी विकास, वन, कृषि तथा ग्रामीण विकास विभागों के 14 मुख्य शीर्षों से संबंधित प्राप्तियों का लगभग 66.59 *प्रतिशत* '800-अन्य प्राप्तियों' के तहत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार वाणिज्यिक कर, सहकारिता, लोक निर्माण, आवास, अल्पसंख्यक कल्याण, फसल वानिकी और दूरसंचार विभाग से संबन्धित नौ मुख्य शीर्षों से संबंधित कुल व्यय का 72.23 *प्रतिशत*

'800-अन्य व्यय" के तहत दर्ज किया गया था। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के तहत दर्ज की गई बड़ी धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता/ निष्पक्ष तस्वीर को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किए गए कुछ लेनदेन नीचे दिये गए हैं-

- लेखाशीर्ष 5452 के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 में "जनपद पिथौरागढ़ के पर्यटक आवास गृह गंगोलीहाट का निर्माण कार्य" हेतु धनराशि पुस्तांकित की गयी है। किन्तु उक्त की प्रकृति के अनुसार लेखाशीर्ष 5452-01-102 (पर्यटक आवास) में पुस्तांकन किया जा सकता है।
- लेखाशीर्ष 2047 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 भारतीय भागीदारी अधिनियम, सोसाइटी चिट फ़ंड अधिनियम हेतु व्यय पुस्तांकित किया गया है। जबकि उक्त की प्रकृति के अनुसार लेखाशीर्ष 3475-00-200 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ (अन्य व्यवसायिक उपक्रमों का विनियमन) में पुस्तांकन किया जाना उचित है।
- ब्याज प्राप्ति लेखाशीर्ष 0049 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 में उप निबंधक सहकारी समिति हेतु पुस्तांकन किया गया है। जबकि लघु एवं मुख्य शीर्षों की सूची के अनुसार लघुशीर्ष 800 के स्थान पर लघुशीर्ष 195 (सहकारी समिति से प्राप्त ब्याज) का प्रयोग किया जाना उचित है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने सूचित किया कि महालेखाकार द्वारा सुझाए गए अधिकतम मुख्य शीर्षों को वर्ष 2022-23 के दौरान सही किया गया है। इसके अलावा यह भी अवगत कराया कि भविष्य में लघु शीर्ष-800 के उपयोग को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल व्यय और प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लघु शीर्ष-800 के संचालन की सीमा **चार्ट-4.3** और **चार्ट-4.4** में दी गई है।

चार्ट-4.3: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय

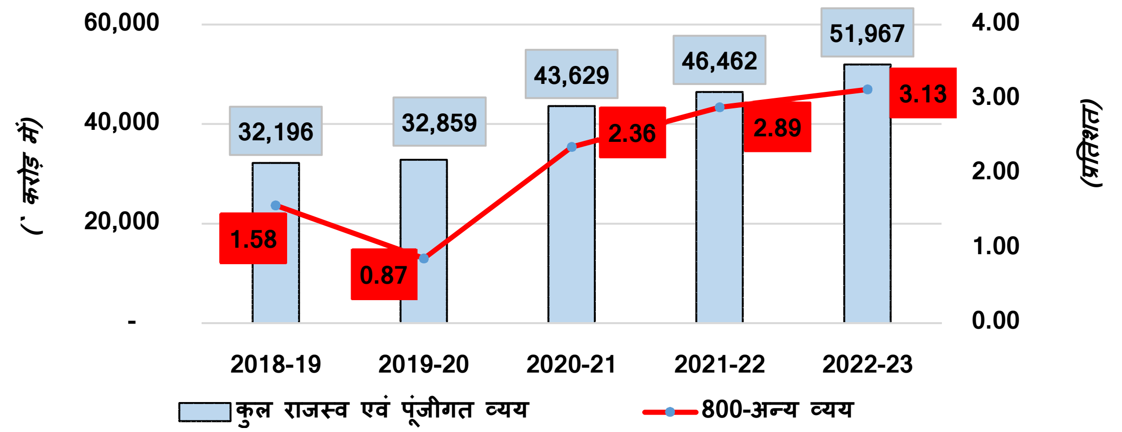

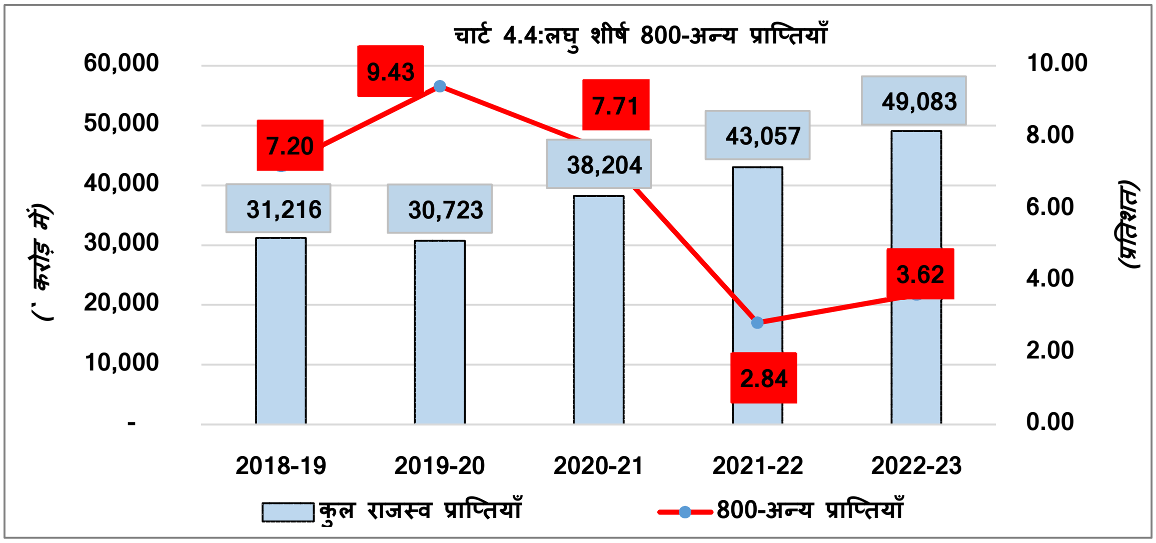

4.3 माप संबंधी प्रकरण

4.3.1 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष

अ) उचन्त एवं प्रेषण शेष

नीचे दी गई तालिका मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त खाते के अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट शेष के लेनदेन की प्रकृति देती है।

लघु शीर्ष का नाम	डेबिट पक्ष	क्रेडिट पक्ष
	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालय केंद्र सरकार की ओर से भुगतान करते हैं।	जब केंद्र सरकार का वेतन एवं लेखा कार्यालय राज्य सरकार की ओर से भुगतान करता है
102- उचन्त लेखे (सिविल)	भुगतान/नकद खातों की ट्रेजरी सूचियों और उसके साथ जुड़े भुगतान/प्राप्तियों की सूचियों के आंकड़ों के बीच देखे गए अंतर को शामिल करने के लिए महालेखाकार की पुस्तकों में संचालित किया जाता है।	इस उप-शीर्ष के तहत शुरू में रखी गई धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा और संबंधित खातों के मुख्य शीर्षों में ले जाया जाएगा जब कोषाधिकारी से आवश्यक स्पष्टीकरण/ अनुसूची की प्राप्ति पर मतभेदों का निपटारा किया जाता है।
107- नकद निपटान उचन्त लेखे	इस लघु शीर्ष का उपयोग एक ही महालेखाकार को लेखे प्रदान करने वाले लोक निर्माण प्रभागों के बीच निपटान या लेनदेन के लिए किया जाएगा।	जब एक लोक निर्माण प्रभाग राज्य सरकार के दूसरे प्रभाग को सामग्री देता है।
110- रिजर्व बैंक उचन्त- केन्द्रीय लेखा कार्यालय	परामर्श (सूचना) प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय लेखा कार्यालय, नागपुर, राज्य सरकार के शेष को डेबिट करता है और संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय को सूचित करते हुए केंद्र सरकार को क्रेडिट भेजता है।	इस लघु शीर्ष का उपयोग प्रधान लेखा कार्यालय आदि द्वारा आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को परामर्श देते समय केंद्र सरकार (सिविल) के शेष से राज्य सरकार के शेष में स्थानांतरण के लिए किया जाता है।

लघु शीर्ष का नाम	डेबिट पक्ष	क्रेडिट पक्ष
	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस)	जब लेखा प्राधिकारी (म ले उत्तराखण्ड) केंद्र सरकार को भुगतान करेगा।	जब आयकर के अनुसार टी डी एस उत्तराखण्ड सरकार के डी डी ओ द्वारा काटा जाता है।
113- भविष्य निधि उचन्त	मूल लेन-देन का पता लगाने पर यह शीर्ष स्पष्ट हो जाता है।	जब मूल लेनदेन का पता चलने तक सा भ नि अभिदाता को क्रेडिट या डेबिट दिया जाता है।
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेनदेन।	सरकारी लेखों में दिखाई देने वाली आरबीआई से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों को सबसे पहले इस लघु शीर्ष में डेबिट किया जाना चाहिए।	सरकारी लेखों में दिखाई देने वाली आर बी आई से संबंधित प्राप्तियाँ और भुगतान सबसे पहले इस लघु शीर्ष में क्रेडिट किए जाने चाहिए।
123- अखिल भारतीय सेवा (अ भा से) अधिकारी समूह बीमा योजना।	राज्य संवर्ग के ए आई एस अधिकारियों को केंद्र सरकार की कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए किए गए भुगतान को इस उप शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।	केंद्र सरकार की कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए ए आई एस राज्य संवर्ग के अधिकारियों से की गयी कटौती/ वसूली को उपशीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
129- सामग्री खरीद निपटान उचन्त खाता।	यह लघु शीर्ष उन मामलों में भंडारों की सीधी खरीद के लिए संचालित किया जाएगा जहां भुगतान उसी महीने में नहीं किया गया है जिसमें भंडार प्राप्त हुए हैं।	जब राज्य सरकार के एक लोक निर्माण प्रभाग/कार्यालय ने भारत सरकार के पूर्ववर्ती आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के माध्यम से सामग्री की खरीद की। 1993 के बाद से ऐसे लेनदेन होना बंद हो गए हैं।
102- लोक निर्माण प्रेषण 103- वन प्रेषण।	जब कोई लोक निर्माण प्रभाग/वन प्रभाग राजकोष में धन जमा करता है। अप्रैल 2019 से आई एफ एम एस के कार्यान्वयन के साथ यह हेड अब संचालित नहीं किया जा रहा है।	जब कोई लोक निर्माण प्रभाग/वन प्रभाग राजकोष के माध्यम से कोई भुगतान करता है। अप्रैल 2019 से आई एफ एम एस के कार्यान्वयन के साथ यह हेड अब संचालित नहीं किया जा रहा है।
8793–अंतर्राज्यीय उचन्त लेखे।	जब अन्य राज्यों के पेंशनरों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान उत्तराखण्ड सरकार को प्राप्त होता है।	जब उत्तराखण्ड सरकार अन्य राज्यों के पेंशनरों को भुगतान करती है।

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि को अलग-अलग शीर्षों के तहत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को मिलाकर किया जाता है। उचन्त और प्रेषण शीर्ष की मंजूरी राज्य कोषागार/ निर्माण और वन प्रभाग आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत सकल आँकड़ों की स्थिति **तालिका-4.17** में दी गई है।

तालिका-4.17: उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658- उचन्त लेखे						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	115.24	23.40	189.52	89.34	331.64	186.11
निवल	**(डेबिट) 91.84**		**(डेबिट) 100.16**		**(डेबिट) 145.53**	
102- उचन्त लेखे (सिविल)	574.13	379.40	289.18	386.82	295.03	392.38
निवल	**(डेबिट) 194.73**		**(क्रेडिट) 97.64**		**(क्रेडिट) 97.35**	
107- नकद निपटान उचन्त लेखे	81.39	0.26	99.71	0.26	1233.79	1133.42
निवल	**(डेबिट) 81.13**		**(डेबिट) 99.45**		**(डेबिट) 100.37**	
110- रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	214.67	219.61	221.31	219.61	224.32	219.61
निवल	**(क्रेडिट) 4.94**		**(डेबिट) 1.70**		**(डेबिट) 4.71**	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस)	28.03	241.27	28.03	267.44	28.03	330.23
निवल	**(क्रेडिट) 213.24**		**(क्रेडिट) 239.41**		**(क्रेडिट) 302.20**	
113- भविष्य निधि उचन्त	24.75	24.64	24.75	24.64	24.75	24.64
निवल	**(डेबिट) 0.11**		**(डेबिट) 0.11**		**(डेबिट) 0.11**	
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेनदेन	18.12	20.33	18.12	20.33	18.12	20.33
निवल	**(क्रेडिट) 2.21**		**(क्रेडिट) 2.21**		**(क्रेडिट)** 2.21	
123- ए आई एस अधिकारी समूह बीमा योजना	0.32	0.57	0.34	0.61	0.36	0.64
निवल	**(क्रेडिट) 0.25**		**(क्रेडिट) 0.27**		**(क्रेडिट) 0.28**	
129-- सामग्री खरीद निपटान उचन्त खाता	0.03	(-) 0.73	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73
निवल	**(डेबिट) 0.76**		**(डेबिट) 0.76**		**(डेबिट) 0.76**	
8782- नकद प्रेषण और अधिकारियों के बीच समायोजन उसी लेखा अधिकारी को लेखे प्रदान करना						
102- लोक निर्माण प्रेषण	296.13	372.74	296.13	372.70	296.45	372.70
निवल	**(क्रेडिट) 76.61**		**(क्रेडिट) 76.57**		**(क्रेडिट) 76.24**	
103- वन प्रेषण	107.23	166.95	107.23	166.95	107.23	166.95
निवल	**(क्रेडिट) 59.72**		**(क्रेडिट) 59.72**		**(क्रेडिट) 59.72**	
8793–अंतर्राज्यीय उचन्त लेखे	2095.05	2014.10	2083.81	2015.19	2067.53	2316.45
	(डेबिट) 80.95		**(डेबिट) 68.62**		**(डेबिट) 51.08**	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा तैयार किये गये वित्त लेखे 2022-23।

उचन्त के तहत विभिन्न लघु शीर्षों के विश्लेषण की चर्चा नीचे की गई है:

वित्त लेखे 2022-23 में प्रदर्शित मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त लेखे के अंतर्गत लघु शीर्षों 101-पी ए ओ उचन्त, 102-उचन्त लेखा (सिविल) तथा 112- स्रोत स्तर पर कटौती (टी डी एस) उचन्त के तहत उचन्त शेष (डेबिट/क्रेडिट) का विवरण निम्नवत हैं:

वेतन और लेखा कार्यालय-उचन्त (लघु शीर्ष 101): यह लघु शीर्ष केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालय व राज्यों के महालेखाकार (ले एवं हक) के तहत वेतन और लेखा कार्यालय (पी ए ओ) की पुस्तकों में होने वाले अंतर-विभागीय और अंतर-सरकारी लेनदेन के निपटान के लिए संचालित होता है। इस शीर्ष के तहत विगत वर्ष के अंत में ₹ 100.16 करोड़ के डेबिट शेष के सापेक्ष बकाया शुद्ध डेबिट शेष (31 मार्च 2023) ₹ 145.53 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्तियाँ 35.95 *प्रतिशत* और संवितरण 64.05 *प्रतिशत* रहीं। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि अन्य पी ए ओ की ओर से पी ए ओ द्वारा भुगतान किया गया है, जो अभी वसूल किया जाना है।

उचन्त लेखे-सिविल (लघु शीर्ष 102**):** ऐसे लेनदेन जिन्हें किसी निश्चित सूचना/दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष लेखो में प्रदर्शित नहीं कर सकते, उन्हें प्रारम्भ में इस उचन्त शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान, ₹ 295.03 करोड़ (42.92 *प्रतिशत*) की राशि को लघु शीर्ष से बाहर रखा गया था और ₹ 392.38 करोड़ (57.08 *प्रतिशत*) की राशि को इस लघु शीर्ष के तहत दर्ज किया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2021-22 के डेबिट शेष ₹ 97.64 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक ₹ 97.35 करोड़ का क्रेडिट शेष बकाया था।

स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त-(लघु शीर्ष 112): इस लघु शीर्ष का उद्देश्य स्रोत पर काटे गए आयकर के लेखों की प्राप्तियों को समायोजित करना है। इन क्रेडिटों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजित एवं आयकर (आई टी) विभाग को क्रेडिट करना होता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 330.23 करोड़ (92.18 *प्रतिशत*) के क्रेडिट के सापेक्ष ₹ 28.03 करोड़ (7.82 *प्रतिशत*) की राशि लघु शीर्ष-112 से निर्गत की गई। इसका अर्थ है कि मार्च 2023 तक आई टी विभाग को ₹ 302.20 करोड़ की राशि निर्गत नहीं की गयी थी। हालाँकि, वर्ष 2022-23 के अंत में क्रेडिट शेष वर्ष 2021-22 (₹ 239.41 करोड़) की तुलना में अधिक था।

ब) मुख्य शीर्ष चैक और बिल्स (मुख्य शीर्ष 8670)

इस शीर्ष का उपयोग चेक जारी करने और उसके बाद उनके नकदीकरण से संबंधित लेनदेन को दर्ज करने के लिए किया जाता है। आर बी आई की ई-भुगतान प्रणाली (ई-कुबेर) के कार्यान्वयन के साथ इस शीर्ष का उपयोग ई-भुगतान सूचना और अनुवर्ती निकासी को दर्ज करने के लिए किया जा रहा है।

मुख्य शीर्ष 8670 चेक और बिल के तहत क्रेडिट शेष इंगित करता है कि चेक जारी किए गए है परंतु नकदीकरण शेष है। 01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष ₹ 349.72 करोड़

(क्रेडिट) था। 2022-23 के दौरान, ₹ 49,375.90 करोड़ के चेक जारी किए गए, जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान ₹ 49,661.31 करोड़ का नकदीकरण किया गया तथा 31 मार्च 2023 को अन्तिम अवशेष ₹ 64.31 करोड़ (क्रेडिट) रहा। अन्तिम शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के तहत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके परिणामस्वरुप उत्तराखण्ड सरकार से 31 मार्च 2023 तक कोई नकद बहिर्वाह नहीं हुआ है।

स) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (के स एवं अव नि)

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। विद्यमान लेखा प्रक्रिया के अनुसार, अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष "1601 सहायता अनुदान" के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। तत्पश्चात इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष "8449-अन्य जमा-103 केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान'' के कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के माध्यम से लोक लेखे में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान की प्राप्ति के परिणामस्वरूप लेखों में राजस्व अधिशेष को बढ़ाकर या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दिखाया गया है। के स एवं अव नि के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर व्यय को पहले संबन्धित पूंजीगत या राजस्व व्यय अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के तहत लेखांकित किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8449 से संबन्धित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी प्रकरण हो) में 'घटाए व्यय' के रूप में की जाएगी।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क निधि से ₹ 378.17 करोड़ जारी किए।

तथापि, मुख्य शीर्ष 8449-103 के तहत कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के माध्यम से राशि दर्ज करने की निर्धारित लेखा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 5054-04-337 के तहत ₹ 334.34 करोड़ का व्यय किया जो कि केंद्रीय सड़क निधि से मुख्य शीर्ष 1601-06-104 में अनुदान के तहत प्राप्त राशि से ₹ 43.83 करोड़ कम था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को ₹ 378.17 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया, जबकि राजकोषीय अधिशेष/घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

द) ऋण एवं अग्रिम का प्रतिकूल शेष

वर्ष के दौरान लेखों में प्रदर्शित ऋण शेष नीचे दी गयी **तालिका-4.18** में दिया गया है।

तालिका-4.18 मुख्य शीर्ष 6851 और 7610 के अंतर्गत आने वाली ऋणात्मक शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष
6851	**ग्राम्य एवं लघु उद्योग के लिए ऋण**	(-) 0.18
7610	**सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण**	(-) 20.08

ये ऋण उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किए गए थे। इन ऋणों की चुकौती उपर्युक्त शीर्षों के तहत बुक की जा रही है ऋणों की चुकौती उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत दर्ज की जा रही है क्योंकि ऐसी प्रतिकूल शेष राशि खातों में प्रदर्शित होती है। इन प्रतिकूल शेष राशियों की समीक्षा की जा रही है।

4.3.2 विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना

उत्तराखण्ड बजट नियमावली 2012 के प्रस्तर 109 के संदर्भ में, सभी नियंत्रक अधिकारियों को प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आँकड़ों के साथ सरकार के प्राप्तियों और व्यय का मिलान कराना आवश्यक है। यह नियंत्रण अधिकारी को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने और अपने बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, और उनके लेखों की सटीकता सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, व्यय के संबंध में 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु नि अ) द्वारा (पूर्ण रूप से 56 मु नि अ द्वारा तथा आंशिक रूप से 06 मु नि अ द्वारा) के द्वारा मिलान किया गया। 62 मु नि अ (100 *प्रतिशत*) में से ₹ 56,992.72 करोड़ (कुल व्यय ₹ 60,535.64 करोड़[4] का 94.15 *प्रतिशत*) के व्यय का मिलान किया गया। इसके अलावा, प्राप्तियों के संबंध में, 48 मु नि अ में से, 44 मु नि अ द्वारा (37 मु नि अ द्वारा पूर्ण रूप से और 07 मु नि अ द्वारा आंशिक रूप से) मिलान किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 58,266.57 करोड़ की प्राप्तियों का (कुल प्राप्तियों ₹ 58,542.90 करोड़[5] का 99.53 *प्रतिशत*) मिलान किया गया।

2020-21 से 2022-23 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति को **चार्ट-4.5** में दिखाया गया है।

---

4 कुल व्यय ₹ 60,535.64 करोड़ में ₹ 93.63 करोड़ के ऋण और अग्रिम का संवितरण और ₹ 8,474.77 करोड़ सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है।

5 कुल प्राप्ति ₹ 58,542.90 करोड़ में ऋण और अग्रिम की वसूली ₹ 17.08 करोड़ और सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ₹ 9,431.07 करोड़ शामिल है।

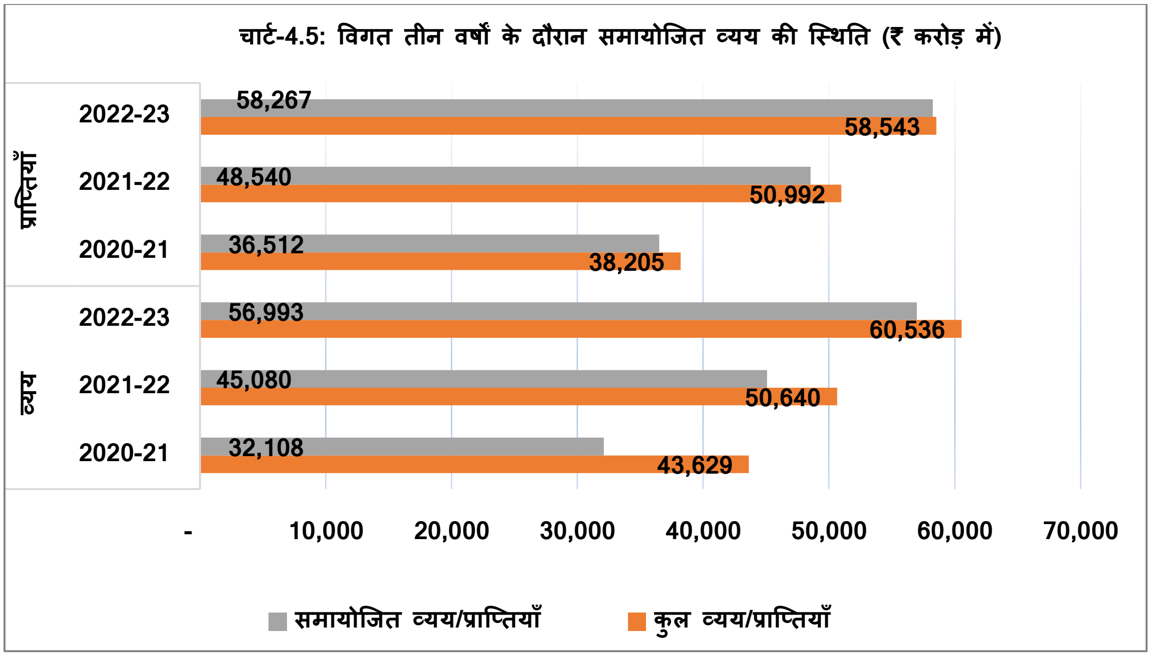

विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण अधिकारियों की संख्या और मिलान की सीमा से संबंधित ब्यौरा **तालिका-4.19** में दिया गया है।

तालिका-4.19: प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण रूप से समायोजित	आंशिक रूप से समायोजित	बिल्कुल समायोजित नहीं	कुल प्राप्तियाँ/ व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की प्रतिशतता
प्राप्तियाँ							
2020-21	48	03	23	22	38,204.56	36,512.20	95.57
2021-22	48	03	29	16	50,992.06	48,540.27	95.19
2022-23	48	37	07	04	58,542.90	58,266.57	99.53
व्यय							
2020-21	62	12	41	09	43,629.24	32,107.80	73.59
2021-22	62	11	46	05	50,640.06	45,079.86	89.02
2022-23	62	56	06	00	60,535.64	56,992.72	94.15

***स्रोत:** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखा 2022-23 एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना।*

मिलान और आँकड़ों का सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संबंध में विदित प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल लेखों में प्राप्तियों और व्यय की गलत बुकिंग होती है, बल्कि बजटीय प्रक्रिया के मूल उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती। व्यय की राशि का मिलान वर्ष 2021-22 में 89.02 *प्रतिशत* के सापेक्ष बढ़कर वर्ष 2022-23 में 94.15 *प्रतिशत* हो गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने सूचित किया कि 2022-23 के दौरान महालेखाकार (ले एवं ह) के साथ प्राप्ति और व्यय के आंकड़ों के मिलान में सुधार हुआ है।

4.3.3 नगद शेष राशि का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बहीखाते के अनुसार 31 मार्च 2023 का नगद शेष ₹ 131.82 करोड़ (क्रेडिट) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा ₹ 0.85 करोड़ (क्रेडिट) प्रतिवेदित था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वारा निकाले गए नगद शेष और आर बी आई द्वारा प्रतिवेदित नगद शेष के बीच ₹ 130.97 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था। यह अंतर स्क्रॉल न मिलने आदि के कारण था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि मिलान के लिए मामला आर बी आई और कोषाध्यक्षों के पास विचाराधीन था।

4.4 प्रकटीकरण से संबन्धित प्रकरण

4.4.1 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के तीन लेखांकन मानक (आई जी ए एस) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखा मानकों का अनुपालन **तालिका-4.20** में विस्तृत है।

तालिका-4.20: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	**आई जी ए एस-1:** *सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ*	इस मानक के अन्तर्गत सरकार को अपने विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि के साथ-साथ वर्ष के अन्त में परिवर्धन, विलोपन, आह्वान, निर्वहन और बकाया का खुलासा करने की आवश्यकता है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 9 एवं 20)	राज्य सरकार द्वारा अधिकतम प्रतिभूति के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, प्रत्येक संस्थान के लिए प्रतिभूति की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अत: यह विवरण उस हद तक अपूर्ण है।
2.	**आई जी ए एस-2:** *सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण*	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 10 एवं परिशिष्ट III)	राज्य सरकार विभिन्न उद्देश्यों और योजनाओं के लिए विभिन्न निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकार दिए गए सहायता-अनुदान का ब्योरा आई जी ए एस-2 की आवश्यकता के अनुसार वित्त लेखों के विवरण-10 और परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दी गयी सहायता-अनुदान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए आई जी ए एस-2 का अनुपालन उस हद तक पूरा नहीं हुआ है।

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
3.	**आई जी ए एस-3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम*	यह मानक पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मान्यता, मापन, मूल्याँकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 7 एवं 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सीमा तक, वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, सिवाय ऋण, यदि कोई हो, जो नित्यता के लिए स्वीकृत किये गये थे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि भविष्य में इस संबंध में अनुपालन किया जाएगा।

4.4.2 स्वायत निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी पी सी अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/ प्रशासक, जनहित में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकता है कि वह राज्य या संघ शासित प्रदेश के कानून द्वारा बनाए गए निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करे, जैसा भी मामला हो, और जहां इस तरह का अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखों का लेखा परीक्षण करेगा और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अलावा, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गयी है, वहाँ यदि उससे यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं, और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय के प्राधिकरण के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार (धारा 20) होगा।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरण के मामले में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है बशर्ते नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हो। इस प्रकार, इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और इन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जमा करने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एस ए आर) जारी करता है जो लेखों पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का हिस्सा होती है। यह एस ए आर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। प्राधिकरणों के लेखों के बकाया का ब्योरा **तालिका-4.21** में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.21: निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

क्र.सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित हैं	2022-23 तक लंबित लेखों की संख्या
1.	उत्तराखण्ड जल संस्थान	2020-21	03
2.	उत्तराखण्ड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	2022-23	01
3.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	2005-06	17

तालिका-4.21 से देखा जा सकता है कि इन तीन प्राधिकारणों के लेखे एक वर्ष से 17 वर्ष तक लंबित हैं।

4.4.3 निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना

ऐसे संस्थानों की पहचान करने हेतु, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा की जानी चाहिए, सरकार/विभागीय प्रमुखों को चाहिये कि वे ऐसे विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता दिये जाने के उद्देश्य तथा इन संस्थानों के द्वारा किये गये कुल व्यय की विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रति वर्ष उपलब्ध करायें। इसके अलावा, लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 यह प्रदान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, इस तरह के निकाय और प्राधिकरण का एक विवरण, जिन्हें अनुदान/या ऋण में ₹ 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया था, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी, और (ग) प्राधिकरण या निकाय का कुल व्यय प्रदर्शित हो।

हालांकि, सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लिए ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। सूचना का अप्रस्तुतीकरण लेखापरीक्षा और लेखा, (संशोधन) 2020 पर विनियमों का उल्लंघन था। वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 4 की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि 2022-23 के दौरान विभिन्न विभागों ने पूंजीगत संपत्ति के लिए सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 55) और वेतन के इतर सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 56) क्रमशः ₹ 450.47 करोड़ और ₹ 4,747.80 करोड़ दिया था।

4.4.4 समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता

2022-23 के दौरान सभी लेखा प्रतिपादन करने वाली संस्थाएँ (कोषागार, लोक निर्माण विभाग, वन प्रभाग और वेतन एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली), जो अपने मासिक लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सौंपती हैं, ने समय पर अपने लेखों को सौंप दिया था और बहिष्करण का कोई प्रकरण नहीं था।

4.5 अन्य प्रकरण

4.5.1 गबन, हानि, चोरी आदि

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-V, भाग-1, नियम 82 और परिशिष्ट XIX ब के प्रावधानों के अनुसार, डी डी ओ को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और (लेखा एवं हकदारी) कार्यालयों को नुकसान के विवरण को सूचित करना चाहिए। वर्ष 2022-23 के दौरान डी॰डी॰ओ॰ द्वारा गबन, हानि, चोरी आदि का कोई प्रकरण सूचित नहीं किया गया।

4.5.2 राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके बनाए जाने से अब तक चर्चा नहीं की है।

4.6 निष्कर्ष

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2022 तक दिये गए ₹ 864.32 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष 268 उपयोगिता प्रमाणपत्र (मार्च 2023 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2023 तक ₹ 11.36 करोड़ के 74 सार आकस्मिक बिल बकाया थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र और विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों और स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को जमा नहीं करने से निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। यह राज्य सरकार के आंतरिक नियंत्रण की कमी और अपूर्ण अनुश्रवण तंत्र को इंगित करता हैं।
- 2022-23 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति व व्यय का मिलान क्रमश: 99.53 और 94.15 *प्रतिशत* था।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800- अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत व्यापक मात्रा में व्यय (₹ 1,625.33 करोड़) और प्राप्तियाँ (₹ 1,778.39 करोड़[6]) दर्ज किया जाना वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के बहुप्रयोजन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों की अपारदर्शिता को प्रस्तुत करता हैं।
- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है।

---

[6] वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से पेंशन के बंटवारे के रूप में 800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किए गए ₹ 1,659.46 करोड़ को छोड़कर।

4.7 संस्तुतियाँ

- ***सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उन्हे जारी अनुदानों के सम्बन्ध में समय से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रेषण करना सुनिश्चित करना चाहिए;***
- ***सरकार को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रण अधिकारी निर्धारित अंतराल पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपने व्यय के आँकड़ों का मिलान करें;***
- ***राज्य सरकार को बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष 800 का संचालन हतोत्साहित करना चाहिए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श के बाद विशिष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए ताकि समुचित लेखा शीर्ष में पहचान कर बहीखातों में ठीक प्रकार से लेन देन वर्गीकृत किया जा सके;***
- ***राज्य सरकार को वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य में भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।***